न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–14/2015

सुहावन प्रसाद सिंह बनाम दयानन्द कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
01.7.15	**आदेश** आवेदक सुहावन प्रसाद सिंह पिता–स्व0 सत्य नारायण प्रसाद सिंह, साकिन–नवादा, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया ने दयानन्द कुमार पिता–श्री रामविनय प्रसाद सिंह, ग्राम–नवादा, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया को विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाते हुये विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–38/2013–14 में दिनांक 28.10.2014 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण वाद लाया है। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि दाखिल खारिज वाद संख्या–700/2005–06 में आदेश शिविर न्यायालय में पारित हुआ है, जिसमें विधि का औपचारिकतायें पुरी नहीं की गई। विवादी खेसरा–2270 अराजी 08कट्ठा 08धूर का कोई भी हस्ताक्षरित लेख्य विपक्षी के पास नहीं है। परन्तु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने विपक्षी के पक्ष में झुठा प्रतिवेदन कर दिया जिसपर अंचल अधिकारी ने नामान्तरण आदेश भी पारित कर दिया। पुनरीक्षणकर्त्ता कहते है कि खेसरा 2270 अराजी 08कट्ठा 14धूर सत्य नारायण प्रसाद सिंह के स्वामित्व में था। वे शशिधर प्रसाद सिंह एवं सुहावन प्रसाद को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। इस प्रकार स्व0 सत्य नारायण प्रसाद सिंह द्वारा छोड़ी गयी 08कट्ठा 14धूर जमीन का आधा–आधा हिस्सा अर्थात 04कट्ठा 07धूर के हिसाब से दोनों भाई को मिला जो स्वत्व वाद संख्या–23/2007 के निर्णय से स्पष्ट है। पुनरीक्षणकर्त्ता आगे कहते है कि लिपीकीय भूल के कारण खेसरा संख्या लिखने में गलती हो गयी है, परन्तु सच्चाई यह है कि खेसरा संख्या–2270 का आधा हिस्सा 04कट्ठा 07धूर जमीन की जमाबंदी सुहावन प्रसाद सिंह पुनरीक्षणकर्त्ता के नाम से कायम हुआ और आधा हिस्सा बड़े भाई शशिधर प्रसाद सिंह के दखल में रहा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी निम्न न्यायालय में यह दावा किया है कि उन्होंने 08कट्ठा 08धूर जमीन संजय कुमार सिंह पे0–शशिधर प्रसाद सिंह से क्रय किया है, लेकिन वास्तव में खेसरा संख्या–2270 से संबंधित कोई भी विक्रय पत्र विद्यमान नहीं है। विपक्षी को निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण के समय नोटिस भी नहीं किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता आगे कहते है कि विपक्षी ने खेसरा संख्या–2270 का अराजी 08कट्ठा 08धूर के लिए नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी के न्यायालय में आवेदन दिया, परन्तु विपक्षी के नाम जमाबंदी संख्या–102 में 05 कट्ठा 04धूर ही जमीन का अराजी दर्ज हुआ, जिसके लिए न तो अंचल अधिकारी के समक्ष दावा किया गया था और न ही अंचल अधिकारी का ऐसा कोई आदेश था, परन्तु भूमि सुधार उपासमाहर्त्ता, खगड़िया ने इन बातों का नजर अंदाज कर पुनरीक्षणकर्त्ता का अपील वाद खारिज कर दिया था। विवादित जमीन पर स्व0 सत्य नारायण प्रसाद सिंह के दोनों पुत्रों का समान हिस्सा था। विपक्षी को अपने दावे के समर्थन में कोई वैध कागजात नहीं था न ही उनके विक्रेता को विवादित खेसरा के आधा हिस्सा से अधिक का	

क्रम और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
	अधिकार था। इन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है। विपक्षी दयानंद कुमार ने प्रतिउत्तर दाखिल कर कहा है कि मौजा–नवादा, खाता–471, खेसरा संख्या–2270 अराजी लगभग 01बीघा 06 कट्ठा है। उस खेसरा होकर ग्रामीण सड़क पास किया है जिसके कारण खेसरा संख्या–2270 दो भाग में बंट गया है। पश्चिम ओर की खेसरा संख्या 2270 का नया खेसरा संख्या 2270/1 तथा पूर्वी अंश का खेसरा संख्या–2270 यथावत रह गया। खेसरा संख्या–2270, खाता संख्या–471, मौजा–नवादा का 08कट्ठा 14धूर जमीन सत्य नारायण सिंह पे0–रामसुन्दर मंडल के हिस्से में गयी। पारिवारिक बंटवारे में खेसरा संख्या–2270 अराजी 05 कट्ठा 04 धूर शशिधर प्रसाद सिंह के हिस्से में आयी, जिसपर वे दखलकार हुए। पूर्वी भाग में शशिधर प्रसाद सिंह को 04कट्ठा 04धूर तथा ग्रामीण सड़क के पश्चिम 01कट्ठा जमीन उनके हिस्से में मिली ओर इस खेसरा को re-number- 2270/1 किया गया। विपक्षी कहते है कि संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पु कुमार सिंह, पिता–शशिधर प्रसाद सिंह ने अपने हिस्से की 04कट्ठा 04धूर जमीन खाता–471, खेसरा संख्या–2270 से बिक्री कर दी, उसी प्रकार खेसरा–2270/1 से 01कट्ठा जमीन बिक्री कर दी। इस प्रकार दो निबंधित केवाला संख्या क्रमशः 4262 एवं 4267 दिनांक 02.09.2005 द्वारा क्रमशः 02कट्ठा 12धूर एवं 02कट्ठा 12धूर कुल 05कट्ठा 04धूर जमीन विपक्षी दयानंद कुमार को बेच दी तथा वे उसपर दखलकार होकर उसका नामांतरण भी करा लिया, जिसकी जमाबंदी संख्या–102 है। यह उल्लेखनीय है कि सुहावन सिंह पुनरीक्षणकर्त्ता के जमाबंदी से कोई भी जमीन खारिज नहीं की गयी है। इसलिए विपक्षी दयानंद कुमार के पक्ष में कायम जमाबंदी के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता की आपत्ति बिलकूल ही अवैध है, तथा खारिज योग्य है। साथ ही मौजा नवादा, खेसरा संख्या–2270 की जमीन बंटवारा वाद संख्या–23/2007 का विषय वस्तु नहीं है, तथा विपक्षी बंटवारा वाद संख्या–23/2007 में पक्षकार भी नहीं बनाये गये है। आवेदक सुहावन सिंह एवं उसके भाई शशिधर प्रसाद सिंह बिक्री की हुयी जमीन जिसकी कीमत चुका कर उसपर वैध स्वत्व के साथ दखलकार है, उसपर जाल–साज नहीं कर सकते है। अंत में विपक्षी ने कहा है कि बंटवारा वाद संख्या–23/2007 के अर्जी में खेसरा संख्या–2270 अराजी 08कट्ठा 14धूर का mention नहीं रहना इस बात को स्पष्ट करता है कि बंटवारा वाद के पूर्व पारिवारिक बंटवारे परिवार के सभी सदस्य को मान्य था। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी अवलोकन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया का नामांतरण अपील वाद संख्या–38/2013–14 का भी गहन अध्ययन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने पुनरीक्षणकर्त्ता का दावा कुटरचित कागजों के आधार पर होना बताया है तथा इसी आधार पर उनका अपील आवेदन खारिज कर दिया है। उन्होंने विवादित भूमि के दखल कब्जा के बिन्दु पर विचार नहीं किया है। इसलिए उनके द्वारा अपीलार्थी (इस वाद के पुनरीक्षणकर्त्ता) का अपील आवेदन खारिज किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।	

आदेश क्रम और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03

साथ ही नामांतरण वाद संख्या–700 / 2005–06 में अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा पारित आदेश भी रद्द करते हुए वाद को अंचल अधिकारी, चौथम के न्यायालय में इस निदेश के साथ remand back किया जाता है कि अंचल अधिकारी स्वंय स्थल जाँच कर दखल कब्जे के बिन्दु पर आश्वस्त होकर उनके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करेंगे, जिनका विवादित भूमि पर दखल कब्जा के साथ–साथ स्पष्ट स्वत्व संबंधी कागजात उपलब्ध हों।

इसी आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस भेंजे तथा एक प्रति अंचल अधिकारी, चौथम को अनुपालनार्थ भेंजे। आदेश की एक प्रति जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

18/11/15 18/11/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

डी० बी० नं० – 376 / दिनांक – 27.11.2015

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, चौथम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही आपका मूल अभिलेख वापस किया जाता है।

प्रतिलिपि :– N.i.c, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी समाहरणालय, खगड़िया

27/11/15
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।
27/11/15